न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 48/2022

1—आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा तहसील कामां जिला भरतपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान
2—शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा तहसील कामां

असल अप्राथीगण

3—आकूप पुत्र मिसलू
4—फत्ते पुत्र मेदा उर्फ उम्मेदा
5—सुमरी पत्नि फजरू
6—हाकम पुत्र मिसलू जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा तहसील कामां
7—सन्ता पत्नी वेदराम जाति माली निवासी कस्बा कामां

तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांक :— 3.05.2023

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के **तहत पेश कर निवेदन किया है।** कि साविक खसरा नम्बर 877/0.79 हैक्टर का था जिसका **विभाजन पूर्व से ही 877/1/0.27** तरतीवी अप्रार्थीगण संख्या 3 लगा 6 एवं 877/21/0.26 **प्रार्थी के पिता शरीफ द्वारा दिनांक** 29.5.1993 को उम्मेद पुत्र मटोली से खरीद किया था एवं **उसी स्थान पर कब्जा प्राप्त किया था** । एवं खसरा नम्बर 877/3/0.26पूर्व में रहमान पुत्र **चन्दभान का था उसके मरने के बाद** वारिसान के नाम आया उन्होनें शौकत पुत्र फजरू को दे **दिया था एवं एक कब्जा भी 877/3** पर ही है एवं खसरा नम्बर 877/2/0.26 प्रार्थी के पिता **शरीफ का देहान्त हो जाने के बाद** प्रार्थी का विरासत में मिला है । खसरा नम्बर 877/1, **877/2, 877/3 के तीन भाग हुए** जिसमें प्रार्थी के पिता के नाम 877/2/0.26हैक्टर आया था ।

सैटलमेंन्ट विभाग द्वारा बिना मौके देखे ही प्रार्थी के नाम 877/3/0.26 का नया **नम्बर 850 एवं 877/2/0.26 को 1143** के स्थान पर 1150 दर्शा दिया गया है जो गलत है **। जबकि प्रार्थी के नाम 877/2 का वर्तमान** नम्बर 1143 दर्शाना चाहिए था । जो प्रार्थी के **नाम 850 कतई गलत दर्शाया गया है** । क्योंकि वर्तमान खसरा नम्बर 1150, 877/3 का नया **नम्बर है जबकि 877/2 का नया नम्बर 1150,** 877/3 का नया नम्बर है । जबकि 877/2 **का नया नम्बर 1143 बनना चाहिये था** । जो नये नम्बर 1142 के बगल में है जो उत्तर दिशा **में है जबकि 1150 उसी के उत्तर दिशा में है** एवं प्रार्थी का खसरा नम्बर 877/1 का नया **नम्बर 1142, 877/3 का नया नम्बर 1150** दोनों के मध्य में 1143 है । इसी प्रकार सैटलमेंन्ट **वालों ने बिना मौका देखे 877/3 को प्रार्थी** का दर्शाया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी **नाम 877/2/0.26, 1143नया नम्बर होना चाहिये** था ।

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज0

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम 877/2, 1143/0. किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 877/3 नये खसरा नम्बर 1150 पर दर्ज किया है। जो मौके के अनुसार है एवं मौके के अनुसार नक्शा व जमाबन्दी में दुरूस्त किया जाने आदेश करमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बखूर सूचना के उपस्थित नहीं आये। तहसीलदार कामां की ओर से जवाब प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी ग्राम लेबडा तहसील कामां की आराजी खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 877 रकबा 0.79 को तीन जगह विभक्त किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 877/[illegible]/0.27, 877/2/0.26, 877/3/0.26 दर्ज रिकार्ड है। भूप्रबन्ध विभाग के द्वारा नवीन नम्बर 1142/0.27, 1143/0.26, 1150/0.26 अंकित किये गये है। जिसमें पटवारी हल्का लेबडा की आराजी खसरा नम्बर 1143/0.26, 1150/0.26, की राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

यह है कि जमाबन्दी सं0 2074-77 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1143/0.26, पर शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा एवं आराजी खसरा नम्बर 1150/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी लेबडा दर्ज रिकार्ड है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 877/2 का हाल नम्बर 1143/0.26 एव साबिक आराजी खसरा नम्बर 877/3 का हाल नम्बर 1150/0.26 बनाया गया है। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1143/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी लेबडा काबिज है। तथा आराजी खसरा नम्बर 1150/0.26 शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा काबिज है। मौके के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1143/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी लेबडा व हाल खसरा नम्बर 1150/0.26 पर शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा किया जाना उचित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए नकल जमाबन्दी सं0 2074-77, 2046-49, 2050,-2053,2070-2073, 2029-2032 खसरा गिरदावरी 2074-2077, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस, नक्शा, आधार कार्ड सलग्न किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। कि साबिक खसरा नम्बर 877/0.79 के तीन भागों में बांटा गया है। जिसके 877/1/0.27 व 877/2/0.26, 877/3/0.26 किये गये थे। जिनके नये नम्बर खसरा नम्बर 1142/0.27, 1143/0.26, 1150/0.26, बनाये गये। जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1143/0.26, पर शौकत पुत्र फजरू, 1150/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ जाति मेव निवासी लेबडा दर्ज रिकार्ड है। परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 1143/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ व 1150/0.26 पर शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा काबिज है। जमाबन्दी में मौके के अनुसार खसरा नम्बर1143/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ व 1150/0.26 पर शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा तहसील कामां किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी में मौका रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर1143/0.26 पर आकिल पुत्र शरीफ व 1150/0.26 पर शौकत पुत्र फजरू जाति मेव निवासी लेबडा तहसील कामां किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी